

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बर:- 6/99

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बाइरामा..... व भूअ.नि. बावडी.....
.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चिखली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बावडी तहसील चिखली जिला
डूंगरपुर की जमावन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 102 में वर्तमान
में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>ताम्बी सादोड</u>	<u>102</u>	<u>पाला पुत्र ज्योती मीणा</u>	<u>वात्मचंद पुत्र ज्योती मीणा</u>

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली डूंगरपुर
दिनांक 01/05/22

कमांक:- 636-28

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चिखली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री वात्मचंद पुत्र ज्योती को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली
डूंगरपुर